भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1772
10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योगों को बढ़ावा देना

1772. **श्री जिया उर रहमानः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग और विनिर्माण क्लस्टरों की सीमित उपस्थिति से अवगत है;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस प्रकार के औद्योगिक अंतर देश के अन्य हिस्सों में भी मौजूद हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो भारी उद्योग और विनिर्माण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : चूंकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार उद्योग एक राज्य का विषय है, इसलिए भारी उद्योग मंत्रालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी हिस्से में भारी उद्योगों और विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना से संबंधित किसी भी प्रकार के केंद्रीकृत आँकड़े नहीं रखता है।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

******